प्रमुख सचिव, पंचायती राज एवं अध्यक्ष, पंचायती राज इन्स्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग (प्रिट), उ0प्र0 की अध्यक्षता में कार्यकारिणी समिति की द्वितीय बैठक दिनांक 02.08.2016 का कार्यवृत्त

आज दिनांक 02.08.2016 को अपराह्न सायं 5.00 बजे पूर्व निर्धारित एवं संसूचित एजेण्डे के अनुसार पंचायती राज इन्स्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग (प्रिट) की कार्यकारिणी समिति की द्वितीय बैठक श्री चंचल कुमार तिवारी, पंचायती राज एवं अध्यक्ष, पंचायती राज इन्स्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग (प्रिट) की अध्यक्षता में सचिवालय स्थित उनके कक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नवत् रही:–

क्र.सं.	नाम	पद व पता	'प्रिट' के पदाधिकारी
1	श्री चंचल कुमार तिवारी, आई0ए0एस0	प्रमुख सचिव/पंचायती राज एवं अध्यक्ष 'प्रिट'	अध्यक्ष कार्यकारिणी समिति
2	श्री अनिल कुमार दमेले, आई0ए0एस0	निदेशक, पंचायतीराज/'प्रिट'	उपाध्यक्ष
3	श्री राजेन्द्र सिंह	अपर निदेशक, पंचायती राज	सदस्य–सचिव
4	श्री उमाकान्त मिश्रा	निदेशक, पंचायती राज (लेखा)	सदस्य
5	श्री महेन्द्र कुमार	संयुक्त निदेशक, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन	सदस्य
6	श्री सरयू प्रसाद मिश्र	विशेष सचिव, वित्त विभाग उ0प्र0 शासन	सदस्य
7	श्री केशव सिंह	मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, पंचायती राज निदेशालय, उ0प्र0	सदस्य
8	श्री प्रभात कुमार श्रीवास्तव	सुयक्त सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन	सदस्य
9	श्री गिरीश चन्द्र रजक	उप निदेशक, पंचायती राज निदेशालय, उ0प्र0।	संयुक्त सचिव

अध्यक्ष, कार्यकारिणी समिति, प्रिट की अनुमति से निदेशक, पंचायतीराज एवं 'प्रिट'/उपाध्यक्ष 'प्रिट' द्वारा बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी एवं क्रमशः एजेण्डावार चर्चा की गयी। माननीय कार्यकारिणी समिति के सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त निम्नवत है:–

एजेण्डा	माननीय कार्यकारिणी समिति द्वारा लिये गये निर्णय
एजेण्डा बिन्दु–1: प्रिट की कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक–23.05.2016 के कार्यवृत्त की पुष्टि पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान "प्रिट" की कार्यकारिणी समिति की गत बैठक का कार्यवृत्त मा0 सदस्यों के समक्ष **परिशिष्ट–1** पर प्रस्तुत है। कृपया अवलोकनोपरान्त उक्त कार्यवृत्त की पुष्टि निवेदित है।	मा0 कार्यकारिणी समिति द्वारा गत बैठक दिनांक 23.05.2016 के एजेण्डा बिन्दु सं0–7.3 "प्रिट के ट्रेनिंग हॉल एवं ऑडिटोरियम की दरों" के अन्तर्गत निर्णय लिया गया कि प्रिट के भवन को कोई भी हिस्सा यथा हॉल, मैदान आदि शादी व अन्य निजी समारोह हेतु किराया पर न दिया जाय। उक्त संशोधन के साथ गत बैठक दिनांक 23.05.2016 का कार्यवृत्त यथावत माननीय समिति द्वारा अनुमोदित किया गया।
एजेण्डा बिन्दु–2: प्रिट की कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक–23.05.2016 में लिये गये निर्णयों के अनुपालन की स्थिति।	माननीय समिति गत् बैठक में लिये गये निर्णयों के अनुपालन की स्थिति से अवगत हुई। साथ ही गत् बैठक के– • एजेण्डा बिन्दु–4 पर माननीय समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि अब बी. आर.जी.एफ योजना के समाप्त हो जाने के बाद संदर्भित धनराशि भारत सरकार को वापस कर दी जाये। उक्त धनराशि को प्रिट के खाते में हस्तांतरण की आवश्यकता नहीं है। • एजेण्डा बिन्दु–5 नवनिर्वाचित प्रधानों का एक दिवसीय परिचयात्मक प्रशिक्षण हेतु माननीय समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को प्रिट के एजेंडा से पृथक करते हुए निदेशक पंचायती राज शेष जनपदों से उपभोग प्रमाण पत्र प्राप्त करना सुनिश्चित करें। • एजेण्डा बिन्दु–7.4 पर विशेष सचिव, वित्त विभाग द्वारा दिये गये सुझाव के क्रम में दीन दयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बख्शी का तालाब, लखनऊ से वर्तमान दरों का विवरण प्राप्त कर लिया जाये।
एजेण्डा बिन्दु–3: नवनिर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्षों का एक दिवसीय परिचयात्मक प्रशिक्षण उत्तर प्रदेश के सभी नवनिर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्षों (गौतमबुद्धनगर को छोड़कर) का एक दिवसीय प्रशिक्षण पंचायतीराज इन्स्टीट्यूट आफ ट्रेनिंग के अलीगंज लखनऊ स्थित परिसर में माह जुलाई/अगस्त, 2016 में कराया जाना प्रस्तावित है। **प्रशिक्षण का उद्देश्य:–** सभी निर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्षों	माननीय समिति द्वारा जिला पंचायत अध्यक्षों का एक दिवसीय परिचयात्मक प्रशिक्षण प्रिट द्वारा कराये जाने का

को पंचायती राज व्यवस्था, नेतृत्व विकास व उनके दायित्वों एवं कर्तव्यों की समझ विकसित करने हेतु तथा पंचायती राज प्रणाली में अपने दायित्वों को समझते हुए अपनी समस्याओं का समाधान ढूँढने में समर्थ बनाये जाने हेतु एक दिवसीय परिचयात्मक प्रशिक्षण प्रदान किया जाना प्रस्तावित है। जन प्रतिनिधियों की क्षमतावर्धन हेतु संचालित किये जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों का मुख्य ध्येय, पंचायत प्रतिनिधियों की क्षमता में अभिवृद्धि करना है ताकि वे अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों को समझते हुए सतत विकास की अवधारणा से परिचित हो सके एवं जनसहभागिता के माध्यम से विकास की विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित कर सकें।

प्रशिक्षण की विषय वस्तुः—नवनिर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्षों के एक दिवसीय परिचयात्मक प्रशिक्षण की विषय वस्तु निम्नानुसार होगीः—

- प्रतिभागियों की अपेक्षाएं जानकर, उनको नेतृत्व/व्यक्तित्व विकास तथा प्रशिक्षण विधियों से अवगत कराया जायेगा।
- क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम व विभिन्न कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दी जायेगी।
- अपने को प्रशिक्षण के माध्यम से तैयार करके पंचायत के प्रतिनिधि किस तरह सशक्त तथा सक्षम बन सकेगें।

प्रशिक्षण हेतु संदर्भ व्यक्तियों/प्रशिक्षकों तथा संदर्भ साहित्य का विवरणः—जिला पंचायत अध्यक्षों को संगत अधिनियम तथा उनके अधिकारों एवं कर्तव्यों की जानकारियां प्रदान करने हेतु पंचायतीराज विभाग के अधिकारियों/विषय विशेषज्ञों/अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत/रिर्सोस पर्सन का उपयोग किया जायेगा।

संदर्भ साहित्य के रूप में जिला पंचायतों के विभिन्न आयामों से सम्बन्धित पुस्तिका तथा पेन राइटिंग पैड तथा फोल्डर उपलब्ध कराया जायेगा। वितरित की जाने वाली पुस्तिका में जिला पंचायतों के अधिकार एवं कर्तव्य, आय के साधन, पंचायती राज अधिनियम, जनसूचना अधिकार आदि विषयों को समाविष्ट किया गया है।

वित्तीय व्यवस्थाः—जिला पंचायत अध्यक्षों के एक दिवसीय प्रशिक्षण हेतु पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्धारित राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान के मार्ग निर्देशों के अनुरूप, निम्नानुसार वित्तीय व्यवस्थायें होंगीः—

अनुमोदन प्रदान किया गया।

क्र0 सं0	प्रति प्रतिभागी / प्रतिदिन की दर	कुल प्रतिभागियों की संख्या	कुल दिवस	कुल व्यय (2x3x4) (धनराशि रूपये में)	
1	2	3	4	5	
1.	1850	75	1	138750	

उक्त तालिका के अनुसार जिला पंचायत अध्यक्षों के प्रशिक्षण कार्यक्रम पर कुल धनराशि रू0– 138750/– (एक लाख अड़तिस हजार सात सौ पचास मात्र) का व्यय अनुमानित है। इस धनराशि की व्यवस्था राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत प्रतिवर्ष पंचायती राज संस्थाओं को संक्रमित की जाने वाली कुल धनराशि में से प्रशिक्षण हेतु मात्राकृत 0.15 प्रतिशत की धनराशि जो निदेशक, पंचायती राज के निवर्तन पर जिला पंचायत लखनऊ के पी0एल0ए0 के खातें में रखी गयी है, से किया जाना प्रस्तावित है।

निर्णयार्थ :– माननीय समिति के समक्ष उक्त प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

एजेण्डा बिन्दु–4: नवनिर्वाचित ब्लाक प्रमुखों का एक दिवसीय परिचयात्मक प्रशिक्षण

उत्तर प्रदेश के सभी नवनिर्वाचित ब्लाक प्रमुखों (गौतमबुद्धनगर को छोड़कर) का एक दिवसीय प्रशिक्षण, पंचायती राज इन्स्टीट्यूट आफ ट्रेनिंग के अलीगंज लखनऊ स्थित परिसर में माह सितम्बर, 2016 में मण्डलवार निम्नानुसार कराया जाना प्रस्तावित है:–

- प्रथम चरण में सहारनपुर, मेरठ, मुरादाबाद, बरेली, आगरा, अलीगढ़ मण्डलों के ब्लाक प्रमुखों को एक दिवसीय प्रशिक्षण दिया जायेगा।
- द्वितीय चरण में चित्रकूट, फैजाबाद, गोरखपुर, बस्ती, आजमगढ़, देवीपाटन मण्डलों के ब्लाक प्रमुखों को एक दिवसीय प्रशिक्षण दिया जायेगा।
- तृतीय चरण में वाराणसी, मिर्जापुर, इलाहाबाद, लखनऊ, झांसी, कानपुर मण्डलों के ब्लाक प्रमुखों का एक दिवसीय प्रशिक्षण दिया जायेगा।

प्रशिक्षण की विषय वस्तु:–नवनिर्वाचित ब्लाक प्रमुखों के एक दिवसीय परिचयात्मक प्रशिक्षण की विषय वस्तु निम्नानुसार होगी:–

- प्रतिभागियों की अपेक्षाएं जानकर, उनको नेतृत्व/व्यक्तित्व विकास तथा प्रशिक्षण विधियों से अवगत कराया जायेगा।
- पंचायती राज अधिनियम व विभिन्न कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दी जायेगी।
- अपने को प्रशिक्षण के माध्यम से तैयार करके पंचायत के प्रतिनिधि किस तरह सशक्त तथा सक्षम बन सकेगें।

प्रशिक्षण हेतु संदर्भ व्यक्तियों/प्रशिक्षकों तथा संदर्भ साहित्य का विवरण:–क्षेत्र पंचायत के प्रतिनिधियों को पंचायती राज

माननीय समिति द्वारा ब्लाक प्रमुखों का एक दिवसीय परिचयात्मक प्रशिक्षण राज्य स्तर पर प्रिट द्वारा कराये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया।

अधिनियम तथा उनके अधिकारों एवं कर्तव्यों की जानकारियां प्रदान करने हेतु पंचायतीराज विभाग के अधिकारियों/विषय विशेषज्ञों/अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत/रिर्सोस परसन का उपयोग किया जायेगा।

संदर्भ साहित्य के रूप में क्षेत्र पंचायतों के विभिन्न आयामों से सम्बन्धित पुस्तिका तथा पेन राइटिंग पैड तथा फोल्डर उपलब्ध कराया जायेगा। दी जाने वाली पुस्तिका में क्षेत्र पंचायतों के अधिकार एवं कर्तव्य, आय के साधन, पंचायती राज अधिनियम, जनसूचना अधिकार आदि विषयों को समाविष्ट किया गया है।

वित्तीय व्यवस्थाः–ब्लाक प्रमुखों के एक दिवसीय प्रशिक्षण हेतु पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्धारित राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान के मार्ग निर्देशों के अनुरूप, निम्नानुसार वित्तीय व्यवस्थायें होंगीः–)

क्र0सं0	प्रति प्रतिभागी/प्रतिदिन की दर	कुल प्रतिभागियों की संख्या	कुल दिवस	कुल व्यय (2x3x4) (धनराशि रूपये में)
1	2	3	4	5
1.	1850	821	1	1518850

उक्त तालिका के अनुसार ब्लाक प्रमुखों के प्रशिक्षण कार्यक्रम पर कुल धनराशि रू0– 15,18850/– (पन्द्रह लाख अट्ठारह हजार आठ सौ पचास मात्र) का व्यय अनुमानित है। इस धनराशि की व्यवस्था राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत प्रतिवर्ष पंचायती राज संस्थाओं को संक्रमित की जाने वाली कुल धनराशि में से प्रशिक्षण हेतु मात्राकृत 0.15 प्रतिशत की धनराशि जो निदेशक, पंचायती राज के निवर्तन पर जिला पंचायत लखनऊ के पी0एल0ए0 के खातें में रखी गयी है, से किया जाना प्रस्तावित है।

निर्णयार्थ :– माननीय समिति के समक्ष उक्त प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

एजेण्डा बिन्दु–5: नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों का चार दिवसीय आधारभूत प्रशिक्षण

उत्तर प्रदेश मे पंचायतों के सामान्य निर्वाचन वर्ष 2015 के बाद कुल 59073 ग्राम प्रधान तथा 745567 निर्वाचित ग्राम पंचायत सदस्य है। सभी निर्वाचित ग्राम प्रधानो को पंचायती राज व्यवस्था, नेतृत्व विकास व उनके दायित्वों एवं कर्तव्यों की समझ विकसित करने हेतु तथा पंचायती राज प्रणाली में अपने दायित्वों को समझते हुए अपनी समस्याओं का समाधान ढूँढने में समर्थ बनाये जाने हेतु चार दिवसीय आधारभूत प्रशिक्षण प्रदान किया जाना प्रस्तावित है। जन प्रतिनिधियों की क्षमतावर्धन हेतु संचालित किये जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों का मुख्य ध्येय, पंचायत प्रतिनिधियों की क्षमता में अभिवृद्धि करना है ताकि वे

माननीय समिति द्वारा एजेण्डा में वर्णित तथ्यों का संज्ञान लिया गया, तत्क्रम में समिति द्वारा ग्राम प्रधानों को चार दिवसीय आधारभूत प्रशिक्षण (विकास खण्ड स्तरीय) दिये जाने हेतु राज्य स्तर पर 800 मास्टर ट्रेनर्स को प्रशिक्षित करने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया। ब्लाक स्तर पर समस्त ग्राम प्रधानों का चार दिवसीय आधारभूत प्रशिक्षण प्राप्त प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनर्स द्वारा प्रशिक्षण दिये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया।

अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों को समझते हुए सतत विकास की अवधारणा से परिचित हो सके एवं जनसहभागिता के माध्यम से विकास की विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित कर सकें। प्रशिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु निम्नानुसार प्रशिक्षण की रूपरेखा तैयार की गयी है:–

❖ **प्रशिक्षण के चरण:**–ग्राम प्रधानों के चार दिवसीय आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम को मुख्यतः दो चरणों में बाटा गया है।

1– प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण 2– ग्राम प्रधानों का प्रशिक्षण

❖ **प्रशिक्षण की समयावधि:**–प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण एवं ग्राम प्रधानों के आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम माह जुलाई, 2016 के अन्तिम सप्ताह से प्रारम्भ कर माह मार्च, 2017 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु एक बैच की अवधि चार दिन रखी गयी है तथा यह प्रशिक्षण आवासीय होगा। इसी प्रकार ग्राम पंचायत प्रधानों के प्रशिक्षण की अवधि भी चार दिन रखी गयी है परन्तु यह प्रशिक्षण अनावासीय होगा।

❖ **प्रशिक्षण संस्था:**– जनपद स्तर पर जिलाधिकारी के निर्देशन में जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा विकासखण्डवार नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों का चार दिवसीय अनावासीय प्रशिक्षण आयोजित कराया जायेगा।

❖ **प्रथम चरण हेतु प्रशिक्षण के प्रतिभागी:**–प्रथम चरण जिसके अन्तर्गत प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण किया जाना प्रस्तावित है। इसके अन्तर्गत पंचायती राज विभाग, ग्राम्य विकास विभाग, अन्य विभागों के जिला स्तरीय/खण्ड स्तरीय अधिकारियों तथा प्रतिष्ठित स्वैच्छिक संस्थाओं के प्रतिनिधि जिनकी संख्या लगभग 800 होगी, को प्रशिक्षित किया जायेगा।

❖ **प्रथम चरण हेतु प्रशिक्षण माड्यूल:**–प्रशिक्षकों हेतु प्रशिक्षण माड्यूल को मुख्यतः निम्न तीन भागों में विभाजित किया गया है।

- प्रथम भाग में प्रतिभागियों की अपेक्षाएं जान कर, उनको नेतृत्व/व्यक्तित्व विकास तथा प्रशिक्षण विधियों से अवगत कराया जायेगा।
- द्वितीय भाग में पंचायती राज अधिनियम व विभिन्न विकास कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दी जायेगी।
- तृतीय भाग के अन्तर्गत वे किस तरह से अपने को प्रशिक्षक के रूप में तैयार करते हुए प्रधानों को प्रशिक्षण देगें, इसका फीडबैक व उनके अन्दर प्रशिक्षण विधा के कौशल को प्रस्तुतीकरण एवं अभ्यास सत्र के माध्यम से विकसित किया जायेगा।

❖ **प्रथम चरण हेतु प्रशिक्षण की कार्ययोजना (समयावधि):**–प्रशिक्षकों के प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम का आरम्भ माह जुलाई, 2016 से प्रारम्भ होकर माह सितम्बर, 2016 तक सम्पादित किया जायेगा।

❖ **प्रथम चरण हेतु प्रशिक्षक/संदर्भ व्यक्ति/फैसिलिटेटर:**–प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के प्रशिक्षण हेतु

प्रशिक्षक के रूप में राष्ट्रीय स्तर/राज्य स्तर/प्रतिष्ठित स्वैच्छिक संस्थानों के प्रतिनिधियों को सम्मिलित किया जायेगा, जो इस विधा में पूरी तरह दक्ष होगें। दूसरी ओर पंचायती राज विभाग/ग्राम्य विकास विभाग के विषय विशेषज्ञों (कार्यरत एवं सेवानिवृत्त) को भी प्रशिक्षक के रूप में सम्मिलित किया जायेगा।

❖ **वित्तीय व्यवस्थाः**—प्रशिक्षकों के चार दिवसीय प्रशिक्षण हेतु पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्धारित राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान के मार्ग निर्देशों के अनुरूप, निम्नानुसार वित्तीय व्यवस्थायें होंगीः—

(धनराशि रूपये में)

क्र0 सं0	प्रति प्रतिभागी /प्रतिदिन की दर	प्रति सत्र प्रतिभागियों की संख्या	प्रति सत्र दिवस	प्रति सत्र कुल व्यय (2x3x4)	कुल सत्रों की संख्या	सम्पूर्ण प्रशिक्षण पर आने वाला व्यय (5x6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	1850	40	4	296000	20	5920000

उक्त तालिका के अनुसार प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के प्रशिक्षण कार्यक्रम पर कुल धनराशि रू0—5920000/— (उनसठ लाख बीस हजार मात्र) का व्यय अनुमानित है। इस धनराशि की व्यवस्था राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत प्रतिवर्ष पंचायती राज संस्थाओं को संक्रमित की जाने वाली कुल धनराशि में से प्रशिक्षण हेतु मात्राकृत 0.15 प्रतिशत की धनराशि जो निदेशक, पंचायती राज के निवर्तन पर जिला पंचायत लखनऊ के पी0एल0ए0 के खातें में रखी गयी है, से किया जाना प्रस्तावित है।

ग्राम प्रधानों के चार दिवसीय प्रशिक्षण का विवरण

❖ **द्वितीय चरण हेतु प्रशिक्षण के प्रतिभागीः**—द्वितीय चरण के अन्तर्गत समस्त निर्वाचित 59073 ग्राम प्रधानों को चार दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाना प्रस्तावित है।

❖ **द्वितीय चरण हेतु प्रशिक्षण माड्यूलः**—ग्राम प्रधानों हेतु प्रशिक्षण माड्यूल को मुख्यतः निम्न तीन भागों में विभाजित किया गया है।

- प्रथम भाग में प्रधानों को नेतृत्व/व्यक्तित्व विकास, संचार प्रक्रिया आदि से अवगत कराया जायेगा, जिससे उनमें कुशल नेतृत्व की भावना विकसित हो सके।
- द्वितीय भाग में पंचायती राज अधिनियम व नियमों से सम्बन्धित पंचायतों के आय के स्त्रोत, बजट निर्माण, समितियों व बैठकों आदि के बारे में जानकारी दी जायेगी।
- तृतीय भाग के अन्तर्गत राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं की जानकारी दी जायेगी।

ग्राम प्रधानों के आधारभूत प्रशिक्षण का विस्तृत माड्यूल तैयार कर लिया गया है।

❖ **द्वितीय चरण हेतु प्रशिक्षण की कार्ययोजना**

(समयावधि):—ग्राम प्रधानों के प्रशिक्षण कार्यक्रम का आरम्भ माह अगस्त, 2016 से प्रारम्भ होकर माह मार्च, 2017 तक सम्पादित किया जायेगा।

- द्वितीय चरण हेतु प्रशिक्षक/संदर्भ व्यक्ति/फैसिलिटेटर:—ग्राम प्रधानों के प्रशिक्षण हेतु प्रथम चरण के अनुसार 800 प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जायेगा, जो विभिन्न जनपदो में नवनिर्वाचित ग्राम पंचायत प्रधान को प्रशिक्षण देगें। साथ ही पंचायती राज विभाग/ग्राम्य विकास विभाग के विषय विशेषज्ञों को भी प्रशिक्षक के रूप में सम्मिलित किया जायेगा।
- वित्तीय व्यवस्था:—ग्राम प्रधानों के चार दिवसीय प्रशिक्षण हेतु पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्धारित राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान के मार्ग निर्देशों के अनुरूप, निम्नानुसार वित्तीय व्यवस्थायें होंगी:—

(धनराशि रूपये में)

क्र0 सं0	प्रति प्रतिभागी/प्रतिदिन की दर	प्रति सत्र प्रतिभागियों की संख्या	प्रति सत्र दिवस	प्रति सत्र कुल व्यय (2x3x4)	कुल सत्रों की संख्या	सम्पूर्ण प्रशिक्षण पर आने वाला व्यय (5x6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	780	50	4	156000	1182	184392000

उक्त तालिका के अनुसार ग्राम प्रधानों के प्रशिक्षण कार्यक्रम पर कुल धनराशि रू0— 184392000/— (अट्ठारह करोड़ तिरालीस लाख बान्नवे हजार मात्र) का व्यय अनुमानित है। इस धनराशि की व्यवस्था राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत प्रतिवर्ष पंचायती राज संस्थाओं को संक्रमित की जाने वाली कुल धनराशि में से प्रशिक्षण हेतु मात्राकृत 0.15 प्रतिशत की धनराशि जो निदेशक, पंचायती राज के निवर्तन पर जिला पंचायत लखनऊ के पी0एल0ए0 के खातें में रखी गयी है, से किया जाना प्रस्तावित है।

नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन:—इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों की गुणवत्ता पर दृष्टि रखने व इनके सतत् अनुश्रवण के लिए प्रत्येक जिले में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक अनुश्रवण समिति का गठन किया जायेगा। साथ ही प्रत्येक विकास खण्ड के लिए एक जिला स्तरीय अधिकारी को भी प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अनुश्रवण के लिए नोडल अधिकारी नामित किया जायेगा। इतने वृहद स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित करने व उसके सतत् अनुश्रवण के लिए पंचायती राज विभाग के निदेशालय, मण्डल व जिला स्तर पर भी अनेक व्यवस्थायें करनी होंगी, जिन पर पर्याप्त धनराशि व्यय होनी सम्भावित हैं अतः यह प्रस्तावित है कि प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन पर होने वाले विविध प्रकीर्ण व्ययके मद में आरक्षित धनराशि (जिससे डाक पोस्टेज, दूरभाष, फोटो कापी, कम्प्यूटर टाइपिंग, बैनर, फोटोग्राफी, वीडियों ग्राफी, पी0ओ0एल0, ट्रांसपोर्ट/मोबिलिटी आदि पर होने वाले व्यय

वहन किये जा सकते है।) से प्रति प्रतिभागी 10–10/– रू0 निदेशालय व जिला पंचायत राज अधिकारी स्तर तथा रू0 5/– प्रति प्रतिभागी की दर से मण्डल कार्यालय के स्तर पर व्यय करने के लिए रोक लिया जाये। इस कटौती को निदेशक, पंचायती राज द्वारा अपने स्तर पर किया जायेगा। मूल्यांकन प्रपत्र एवं फीडबैक प्रपत्र अवलोकनार्थ **परिशिष्ट–5** पर संलग्न है। **निर्णयार्थ** :– माननीय समिति के समक्ष उक्त प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।	
एजेण्डा बिन्दु–6: पंचायती राज विभाग की मासिक पत्रिका का प्रकाशन सामाजिक एवं आर्थिक मुद्दों क उन्नयन तथा पंचायती राज प्रतिनिधियों व अधिकारियों में अनुपूरक क्षमता विकास के लिए एक मासिक पत्रिका का प्रकाशन पंचायती राज इन्स्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग (प्रिट) द्वारा किया जाना प्रस्तावित है। यह मासिक पत्रिका लगभग 30 पृष्ठों की होगी। पत्रिका के नाम हेतु निम्न विकल्पों में से चुनाव करते हुए अथवा नये नाम हेतु समिति सुझाव देना चाहें। 1. पंचायत पथ, 2. पंचायत प्रकाश, 3. पंचायत शक्ति, 4. पंचायत दर्शन, 5. पंचायत मंजूषा, 6. पंचायत परिक्रमा, 7. पंचायत पाथेय, 8.पंचायत वीथी **निर्णयार्थ** :– माननीय समिति के समक्ष उक्त प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।	माननीय समिति द्वारा पंचायती राज विभाग की मासिक पत्रिका का प्रकाशन के संदर्भ में निर्णय लिया गया कि यह पत्रिका त्रैमासिक होगी और इस त्रैमासिक पत्रिका हेतु निम्नलिखित तीन नामों के सुझाव दिये गये:– 1. पंचायत परिक्रमा 2. पंचायत दर्शन 3. पंचायत प्रकाश
अतिरिक्त एजेण्डा (अन्य बिन्दु अध्यक्ष महोदय की अनुमति से।) **'प्रिट' के अन्तर्गत शासन से प्राप्त अनुदान के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से प्राप्त आय के सम्बन्ध में।** मा0 समिति अवगत होना चाहे कि दिनांक–23.05.2016 को आयोजित 'प्रिट' की कार्यकारिणी समिति की प्रथम बैठक में प्रिट परिसर में स्थापित हास्टल/गेस्ट हाउस/डोरमैट्रि में रूकने हेतु, रूकने वाले आगन्तुकों के भोजन तथा परिसर में स्थापित ऑडिटोरियम हेतु दरों का निर्धारण किया गया था। यह प्रस्तावित है कि उक्तानुसार प्राप्त आय को पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान के खाते में जमा किया जाये एवं आय के इस अतिरिक्त संसाधन हेतु पृथक से दोहरी लेखा प्रणाली का प्रयोग करते हुए लेजर व्यवस्थित किया जाय। इस धनराशि का व्यय सचिव प्रिट के स्तर से अनुमोदन प्राप्त करते हुए प्रिट की परिसम्पत्तियों के रख–रखाव एवं अन्य अपरिहार्य मदों पर किया जाये। इस हेतु प्रिट की नियमावली के पैरा–13 की कंडिका–द में निम्नानुसार व्यवस्था दी गयी है:– "सचिव प्रिट द्वारा वित्तीय संशाधनों का सदुपयोग सुनिश्चित किया जायेगा।" यह भी प्रस्तावित है कि प्रिट हेतु वर्ष 2016–17 के लिये प्रस्तावित ट्रेनिंग कैलेण्डर में शामिल प्रशिक्षण गतिविधियों	माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य बिन्दु के अन्तर्गत प्रस्तुत अतिरिक्त एजेण्डा के सम्बन्ध में माननीय समिति द्वारा निम्नानुसार निर्णय लिए गए:– (i) प्रिट परिसर में स्थापित हॉस्टल, गेस्ट हाउस, डोरमेट्री, ऑडिटोरियम आदि से किराये के रूप में प्राप्त आय को प्रिट के खाते में जमा किया जाय तथा इसके प्रबंधन हेतु अलग से लेजर व्यवस्थित किया जाए। इस धनराशि का उपयोग सचिव प्रिट के स्तर से अनुमोदन प्राप्त करते हुए प्रिट की परिसम्पत्तियों का रखरखाव एवं अन्य आकस्मिक मदों में किया जाए। (ii) प्रिट हेतु वर्ष 2016–17 के प्रस्तावित ट्रेनिंग कैलेण्डर के अनुसार वर्ष में आयोजित किये जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों की कुल लागत धनराशि रू0 5,10,39,650.00 का एक साथ सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करते हुए जिला

की कुल लागत लगभग धनराशि रू0– 51039650/– (विस्तृत विवरण परिशिष्ट–6 पर संलग्न) का सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करते हुए राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत प्रतिवर्ष पंचायती राज संस्थाओं को संक्रमित की जाने वाली कुल धनराशि में से प्रशिक्षण हेतु मात्राकृत 0.15 प्रतिशत की धनराशि जो निदेशक, पंचायती राज के निवर्तन पर जिला पंचायत लखनऊ के पी0एल0ए0 के खाते में रखी गयी है, से आहरित करते हुए प्रिट के खाते में जमा करा दी जाय। इससे एक कैलेण्डर वर्ष में प्रत्येक प्रशिक्षण के पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने तथा धनराशि की व्यवस्था करने की प्रक्रिया में लगने वाले समय की बचत की जा सकेगी एवं ससमय प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संचालन में बाधा उत्पन्न नहीं होगी।

उक्त के अतिरिक्त यह भी प्रस्तावित है कि विगत वर्षों में पंचायत पदाधिकारियों एवं कार्मिकों के कराये गये प्रशिक्षण कार्यक्रमों हेतु जनपदों को अवमुक्त की गयी धनराशि में से जनपद स्तर पर विगत वर्षों की अप्रयुक्त अवशेष धनराशि को 'प्रिट' के खाते में हस्तान्तरित करा लिया जाये।

पंचायत, लखनऊ के पी0एल0ए0 में निदेशक, पंचायती राज के निर्वतन पर रखी गयी धनराशि से आहरित करते हुए प्रिट के खाते में जमा करा दी जाए।

(iii) आगामी वर्षों में प्रिट द्वारा निम्नलिखित पंचायत अधिकारियों/कर्मियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों हेतु कोर्स डिजाइन किया जाए तथा उनका प्रिट स्तर पर प्रशिक्षण दिया जाए।

क–नवनियुक्त जिला पंचायत राज अधिकारियों के लिए छः दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम।

ख–अपर मुख्य अधिकारियों/कार्याधिकारियों के लिए छः दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम।

ग– जिला पंचायत के अभियन्ताओं/अवर अभियन्ताओं के लिए दो या तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम

घ–पंचायती राज विभाग के जिले स्तर के समस्त लिपिकों का दो या तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम।

उक्त के सम्बन्ध में यह भी निर्णय लिया गया कि सभी प्रशिक्षण कार्यक्रमों के कोर्स डिजाइन करते समय कम्प्यूटर एप्लीकेशन एवं सॉफ्टवेयर को भी कोर्स में सम्मिलित किया जाए।

अंत में धन्यवाद ज्ञापन के बाद बैठक समाप्त हुई।

(राजेन्द्र सिंह)
अपर निदेशक,
पंचायती राज, उ0प्र0 एवं
सदस्य–सचिव 'प्रिट'

(चंचल कुमार तिवारी)
प्रमुख सचिव
पंचायती राज, उ0प्र0 शासन एवं
अध्यक्ष, 'प्रिट'